संख्याः–3104/उन्तीस/04–2(38पे0)/2000

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादनः दिनांकः22 दिसम्बर, 2004

विषय जनपद टिहरी की कोटेश्वर सिल्काखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना फेज–। पार्ट–। की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्राक 326/अप्रेजल–टिहरी/दिनाक–27.12.2003 एवं पत्रांक 522/अप्रेजल–टिहरी/दिनांक 13.10.2004 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी की कोटेश्वर शिल्काखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना फेज–। पार्ट–। अनु0लागत रू0 212.30 लाख के प्राक्कलन पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 841/28–1–98 –8 (40पे0)/97, दिनांक 31 मार्च, 1998 द्वारा प्रदान की गयी थी। अब इस योजना हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन अनु0लागत रू0 606.80 लाख का परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशिरू0 597.64 लाख (रू0 पॉच करोड़ सत्तानबे लाख चौंसठ हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1)– योजना का वित्त पोषण चालू कार्यो हेतु निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारंभ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

क्रमशः..2.

(5) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निमार्ण विभाग/उत्तराचंल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय की जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(9) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(10) यदि स्वीकृत रशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हों तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(11) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एंव मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जायेगा ।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 2102/वित्त अनु0-3/2004 दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या-3104 (1)/उन्तीस/04-2(38पे0) 2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराचंल देहरादून ।

2- मुख्य अभियन्ता ,उत्तराचंल पेयजल निगम,पौड़ी

3- मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल ।

4- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल ।

5- मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।

6- अधिशासी अभियन्ता, प्रक्लप शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम को को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटोतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें।

कमशः..3.

7– निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री
8– वित्त अनुभाग–3 / नियोजन प्रकोष्ट ।
9– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव